म. प्र. राज्य कृषि विपणन बोर्ड,
26, किसान भवन, अरेरा हिल्स, भोपाल

क्र. / बी–6 / नियमन / सांवरिया एग्रो / इटारसी / 405 / 4527 भोपाल, दिनांक 14 / 08 / 2015

–: परिपत्र :–

विषयः– अधिसूचित कृषि उपज एवं बासमती धान पर निराश्रित सहायता शुल्क वसूल करने बावत्।

समाज कल्याण विभाग म.प्र.शासन के द्वारा मध्य प्रदेश निराश्रितो एवं निर्धन व्यक्तियो की सहायता अधिनियम, 1970 (क्रमांक 12 सन् 1970) के अधीन अद्यतन जारी अधिसूचना दिनांक 27 जनवरी 2000 के अनुसार राज्य सरकार द्वारा निम्नानुसार निर्देश जारी किये गये है, कि नीचे दी गई अनुसूची के कॉलम (1) में विनिर्दिष्ट कृषि उपज, ऐसी कृषि उपज के क्रेताओं से, उक्त अनुसूची के कॉलम (2) मे विनिर्दिष्ट दर पर नकद में संग्रहीत की जाएगी, अर्थात् :–

अनुसूची

विनिर्दिष्ट कृषि उपज (1)	दर (2)
तिलहन, दलहन, अनाज, कपास एवं सोयाबीन	0.2 प्रतिशत अर्थात प्रत्येक 100 रूपये या उसके भाग पर 20 पैसे

शासन द्वारा उपरोक्त जारी असाधारण राजपत्र दिनांक 27 जनवरी 2000 मे प्रकाशित अधिसूचना से यह स्पष्ट है, कि निराश्रित सहायता राशि की गणना अधिसूचित कृषि उपज की क्रय कीमत पर की जायेगी ना कि किसी अन्य आधार पर।

मध्य प्रदेश निराश्रितो एवं निर्धन व्यक्तियो की सहायता अधिनियम, 1970 (क्रमांक 12 सन् 1970) की धारा 5–घ के अनुसार विनिर्दिष्ट दर से निराश्रित सहायता राशि का संग्रहण म.प्र.कृषि उपज मण्डी अधिनियम, 1972 की धारा 19 के अधीन उपधारा (1) से (4) तक के उपबंधो मे विहित मण्डी फीस के संग्रहण के अवसर पर किया जायेगा।

इससे यह स्पष्ट है कि मण्डी फीस के साथ निराश्रित सहायता राशि का संग्रहण एक प्रक्रिया है। इस राशि के उद्ग्रहण का अधिसूचित कृषि उपज पर मण्डी फीस के भुगतान से संबंध नही है। यह राशि अधिसूचित कृषि उपज के क्रय मूल्य पर क्रेता से वसूल एवं संग्रहित की जाती है।

उपरोक्तानुसार अधिसूचित कृषि उपजो से निराश्रित सहायता राशि को मण्डी समितियो द्वारा संग्रहीत किये जाना पूर्णतः वैधानिक है। मण्डी बोर्ड द्वारा भी निराश्रित सहायता राशि की निर्विवाद एवं नियमित वसूली किये जाने के संबंध मे आदेश क्रमांक / मण्डी / 1 / नि. / विविध / 44 / पार्ट / 1348 दिनांक 30.4.1994 जारी किया गया है एवं इसका उत्तरदायित्व मण्डी सचिव को सौंपा गया हैं।

म.प्र.कृषि उपज मण्डी अधिनियम, 1972 की धारा 69 मे राज्य शासन को विनिर्दिष्ट कृषि उपजो के क्रय–विक्रय पर केवल मण्डी फीस के भुगतान से पूर्णतः या भागतः छूट देने का अधिकार है।

मध्य प्रदेश निराश्रितो एवं निर्धन व्यक्तियो की सहायता अधिनियम, 1970 (क्रमांक 12 सन् 1970) के अधीन जारी अधिसूचना दिनांक 27 जनवरी 2000 के अधीन संग्रहीत की जा रही निराश्रित सहायता राशि पर छूट दिये जाने हेतु म.प्र.कृषि उपज मण्डी अधिनियम, 1972 की धारा 69 सशक्त नही है।

अतः मण्डी फीस के भुगतान पर छूट होने की दशा मे निराश्रित सहायता राशि के संग्रहण की प्रक्रिया पर कोई विपरीत प्रभाव नही पड़ता है।

यह भी उल्लेखनीय है, कि विनिर्दिष्ट दर से निराश्रित सहायता राशि के संग्रहण मे व्यतिक्रम करने पर मध्य प्रदेश निराश्रितो एवं निर्धन व्यक्तियो की सहायता अधिनियम, 1970 (क्रमांक 12 सन् 1970) की धारा 5–घ के अनुसार मण्डी समिति या स्थानीय प्राधिकारी की शिकायत पर, उस व्यक्ति से यह राशि भू–राजस्व के बकाया के रूप मे कलेक्टर द्वारा वसूल की जा सकेगी।

अतः मध्य प्रदेश निराश्रितो एवं निर्धन व्यक्तियो की सहायता अधिनियम, 1970 के प्रावधान अनुसार विनिर्दिष्ट अधिसूचित कृषि उपज के विक्रय पर निराश्रित शुल्क का संग्रहण सुनिश्चित करे।

प्रबंध संचालक
म0प्र0 राज्य कृषि विपणन बोर्ड
भोपाल

क्रं/बी–6/नियमन/सांवरिया एग्रो इटारसी/405/4576 भोपाल,दिनांक 15/08/2015

प्रतिलिपि :–

1. कलेक्टर (सामाजिक न्याय शाखा) समस्त जिला ..... की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
2. अपर/संयुक्त/उप संचालक मण्डी बोर्ड, मुख्यालय की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु।
3. संयुक्त/उप संचालक आंचलिक कार्यालय (समस्त) की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
   अध्यक्ष/सचिव कृषि उपज मण्डी समिति ..... जिला ..... को ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु।
4. गार्ड फाइल, कम्प्यूटर शाखा।

प्रबंध संचालक
म0प्र0 राज्य कृषि विपणन बोर्ड
भोपाल